

माननीय सहाय्य न्यायालय मुंबई न्यायालय 2017 नं. 50 (64)

पत्रांक सं. 73/2017 निगरानी
I/निगरानी/विदिशा/मुंबई/2017/4434



मोहम्मद बलदाद मंसूरी पुत्र श्री
मोहम्मद पीर मंसूरी, निवासी-ग्राम
हंदरगाद लहलीम ग्यारलपुल जिला
विदिशा मं. 50

बगाम

1. लनवीर जमा पुत्री मसूद अली एवं पत्नी
फिरदौस खान निवासी गिलोडा रोमरी
बाडी जिला रायलेन मं. 50
2. किशवल अली
3. अनवर अली
4. अब्दुल अली
5. नालिर अली पुत्रगण
मसूद अली निवासी गण ग्राम हंदरगाद
लहलीम ग्यारलपुल जिला विदिशा
6. जाफिया खान पत्नी एवं बख्तयाल अली
निवासी भोपाल
7. मुमताज जहां
8. रीफा लुकी पुत्री शहजाद खान
निवासी भोपाल
9. जैनव जमा पुत्री मसूद अली
निवासी भोपाल
10. कीरोज जमा पुत्री मसूद अली
निवासी भोपाल
11. आमना जमा पुत्री मसूद अली
निवासी भोपाल मं. 50

रिजिस्ट्रार-हंदरगाद

श्री. कृष्ण कृष्ण श्रीवास, कर्मि
दि. 13/11/17 को

नॉटरी ऑफ कोर्ट 13/11/17
श्री. महेश सुप्र. ग्वालियर

दि. 21/11/17

Notary
23/11/17


निगरानी अन्तर्गत एका 50 मं. 50 नं. 210 व. 1959, विक्रय
करिता आदेश पत्रांक सं. 73/अपील/12-13 ग्राम हंदरगाद
(लनवीर जमा बनाम किशवल अली) में न्यायालय अतिक्रमणीय
अधिकारी ग्यारलपुल जिला विदिशा मं. 50 एका पारित आदेश
दिनांक 02/08/17.

(Handwritten signature)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1/2/विदिशा/17/4434

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p>	<p> अध्यक्ष</p>


21/5/19